

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री मदननाथ पिता रूपनाथ चौहान निवासी नया तालाब टिलोरा तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
4. पटवारी, पटवार हल्का गादोली, तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 127 / 24 (वाद) GCMS No. – 2024 / 296

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा टीलोरा पटवार हल्का गादोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 119 पर दर्ज आराजीयात भूमि में वादी का नाम ईश्वरनाथ पुत्र रूपनाथ के बजाय ईश्वरनाथ उर्फ मदननाथ पुत्र रूपनाथ संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.08.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

